ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्व नगर – 201310

पंत्राक : सम्पत्ति /का0आ0/2018/626
दिनांक :..13.../.06../2018

<u>कार्यालय आदेश</u>

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विल्टअप हाउसिगं योजना BHS-14 के अन्तर्गत भवनों के सापेक्ष व्रोशर में अकिंत सम्भावित मूल्य में वढोतरी के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा गठित समिति की वैठक में निम्नवत निर्णय लिया गया गया :-

1. विल्टअप हाउसिगं योजना BHS-14 के सभी आवंटियों को योजना के ब्रोशर में उल्लिखित भवन का कब्जा दिये जाने की अवधि के आधार पर(आवंटन तिथि दिनांक 15.06.2011 से तीन वर्ष यानि 15.06.2014 पर आधारित करते हुये दिनांक 31.03.2018 तक की अवधि तक) का 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज दिया जाये तथा इसका समायोजन वकाया (देय धनराशि + वढी हुयी भवन की लागत + 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर) को केपिटलॉइज (Capitialize) करते हुये ब्रोशर में उल्लिखित 8 प्रतिशत व्याज दर के साथ योजना के अन्तर्गत आगामी देय किस्त की तिथि से पुनःनिर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि पुनःनिर्धारित धनराशि के लिए अधिकतम अवधि आवंटित योजना की मूल भुगतान अवधि से अधिक नही होगी जिसकी गणना मूल आवंटन तिथि से किया जाये।
2. विल्टअप हाउसिगं योजना BHS-14 के समस्त आंवटियों को यह सूचना प्रेषित कर दी जाये कि वे आवंटीगण , जो वढी हुयी लागत दिये जाने में असमर्थ है तथा प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये जाने की आफर माह सितम्बर 2018 तक भवन के कब्जा प्राप्त कराये की प्रतीक्षा नही कर सकते है। वे आवटींगण योजना के ब्रोशर में इंगित शर्त यू - 3 के अनुसार भवन के सापेक्ष समस्त जमा धनराशि को 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से वापस ले सकते है।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.06.2018 के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

13/6/18
(आर0 के0 देव)
महाप्रवन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :-

- स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर अवलोकनार्थ ।
- महाप्रवन्धक (वित्त) महोदय को अवलोकनार्थ।
- प्रवन्धक (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेपित।
- गार्ड फाइल।

महाप्रवन्धक (सम्पत्ति)